भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2132 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025/21 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है

पोत परिवहन क्षेत्र में वैश्विक साझेदारी

† 2132. श्री मनोज तिवारी :
श्री विजय बघेल :
श्री विनोद लखमशी चावडा :
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे :
कैप्टन बृजेश चौटा :
श्री विष्णु दयाल राम :
श्री राव राजेन्द्र सिंह :
श्री खगेन मुर्मु :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पत्तनों, पोत परिवहन और समुद्री संभारतंत्र में अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की संभावना के लिए अन्य देशों की सरकारों या उद्योग प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार और पत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत के पत्तन से जुड़े कानून, समुद्री सेवाओं और क्षेत्रीय शासन को आधुनिक बनाने के लिए किए गए सुधार क्या हैं और इन्हें राज्य-वार और पत्तन-वार किस प्रकार लागू किया गया है;

(ग) क्या सरकार का किसी भी तकनीकी परिचालन या क्षमता संवर्धन उपायों का प्रस्ताव है जो विशेष रूप से माल की संभलाई, तटीय पोत परिवहन, क्रूज़ पर्यटन और मत्स्यपालन संबंधी कार्यकलापों जैसे समुद्री कार्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए लक्षित हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य और पत्तनवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी पत्तनों और जलमार्गों में डिजिटलाइजेशन, हरित पोत परिवहन और समुद्री नवाचार को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): जी, हां। सरकार पत्तनों, पोत परिवहन और समुद्री लॉजिस्टिक्स में सहयोग के लिए विदेशी सरकारों, बहु-पक्षीय संगठनों और वैश्विक समुद्री उद्योग के साझेदारों के साथ सक्रिय रूप से बात कर रही है। इनमें पत्तन आधुनिकीकरण, पोत परिवहन अवसंरचना का विकास, हरित पोत परिवहन पहल, डिजिटलीकरण और समुद्री कौशल विकास शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि जिन मुद्दों पर हाल में बात हुई है उनमें उत्तरी समुद्री मार्ग, पूर्वी समुद्री कोरिडोर और ध्रुवीय जलों में भारतीय नाविकों के प्रशिक्षण की संभावना तलाशने के लिए भारत-रूस साझेदारी, हरित पोत परिवहन में भारत-डेनमार्क उत्कृष्टता केन्द्र और हरित और डिजिटल पोत परिवहन कोरिडोर के लिए भारत-सिंगापुर साझेदारी शामिल है। इसके अलावा, गुजरात मे दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण (डीपीए) ने हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया और व्युत्पन्न उत्पादों के लिए भंडारण, हैंडलिंग, परिवहन और प्रेषण सुविधाओं सहित तकनीकी रूप से उन्नत, अत्याधुनिक आपूर्ति की सुविधाएं स्थापित करने के लिए पोर्ट ऑफ रोट्टेर्डम के साथ सहयोग किया है।

भारत में पत्तन क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की भी अनुमति है। इस समय, डीपी वर्ल्ड, यूएई, महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पत्तन, केरल में कोचिन पत्तन, तमिलनाडु में चेन्नै पत्तन जैसे विभिन्न स्थानों पर कंटेनर टर्मिनलों का प्रचालन कर रहा है। इसके अलावा, डीपी वर्ल्ड, गुजरात राज्य में टूना-टेकरा, दीनदयाल पत्तन में एक कंटेनर टर्मिनल भी विकसित कर रहा है। इसी प्रकार पीएसए सिंगापुर, महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पत्तन में टर्मिनलों का प्रचालन करता है।

सरकार ने संभावित सहयोग के लिए अवसरों को तलाशने के लिए संयुक्त कार्यकारी समूहों की बैठकों/द्विपक्षीय बैठकों और समझौता-ज्ञापन/आशय-पत्र आदि के माध्यम से समुद्री देशों जैसे नॉर्वे, नीदरलैंड, डेनमार्क, इटली, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जापान, सउदी अरब, श्री लंका, म्यांमार, ओमान आदि के साथ बात की है। इंडिया मैरीटाइम वीक, 2025, जिसे 27-31 अक्तूबर, 2025 तक मुंबई में आयोजित किया गया था, में 93 से अधिक देशों ने सहभागिता की और इसमें 1,00,000 से अधिक प्रतिनिधियों और हितधारकों ने भाग लिया।

(ख) से (घ): हाल मे पारित किए गए मुख्य विधानों में शामिल हैं:

- वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 2025 जिसका उद्देश्य भारतीय ध्वज के तहत टनभार को बढ़ावा देना है।
- तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025 जिसका उद्देश्य तटीय जलयानों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को सरल बनाना है।
- भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 जिसका उद्देश्य पत्तनों की दीर्घकालिक योजना बनाना और उनका एकीकृत विकास करना है।
- वहन-पत्र अधिनियम, 2025 और समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम, 2025 जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक काल के अप्रचलित कानूनों को समाप्त करना है।
- नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021, और अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 जिनका उद्देश्य अप्रचलित विधान को बदलकर अंतर्देशीय जल परिवहन को आधुनिक बनाना है ताकि सुरक्षा, दक्षता और पर्यावरण संरक्षण का संवर्धन हो सके।

- महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 जिसका उद्देश्य महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 को बदलकर स्वायत्तता बढ़ाना, और अधिक लचीलापन देना और निजी निवेश आकर्षित करना है।

पत्तनों पर कार्गो हैंडलिंग, तटीय पोत परिवहन, क्रूज पर्यटन और मत्स्यपालन आदि को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, प्रौद्योगिकी, प्रचालन या क्षमता संवर्धन के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू की गई हैं। गत 10 वर्षों में, महापत्तनों की क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए 40,000 करोड़ रु. से अधिक मूल्य की परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

इसके अलावा, सभी पत्तनों और जलमार्गों में डिजिटलीकरण, हरित पोत परिवहन और समुद्री नवाचार को सुदृढ़ करने के लिए अनेक पहल शुरू की गई हैं/की जा रही हैं जो इस प्रकार हैं:

सभी पत्तनों और जलमार्गों में डिजिटलीकरण के प्रयास, प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने, मानवीय सहायता को कम से कम करने और हितधारकों के बीच सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ाने पर केन्द्रित हैं। लेन-देन मात्रा को कम करने और कार्गो प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी लाने के उद्देश्य से प्रलेखन प्रक्रियाओं का मानकीकरण करने तथा प्रचालन उपायों को पुन: तैयार करने के लिए वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस (ओएनओपी) पहल शुरू की गई है। समुद्री क्षेत्र में प्रचालन दक्षता बढ़ाने के लिए मैरीटाइम सिंगल विंडो (सागर सेतु), ई-समुद्र, ई-परीक्षा और जलयान एवं नाविक जैसे की गई अन्य कई पहल, आईटी प्रणालियों को सुदृढ़ कर रही हैं।

समुद्री क्षेत्र में पर्यावरण के उद्देश्य में सहायता करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। 2023 में शुरू किए गए "हरित सागर" हरित पत्तन दिशा-निर्देशों में कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए भारतीय पत्तनों के लिए एक ढांचे की व्यवस्था की गई है। अन्य उपायों में वैकल्पिक ईंधनों, कम/शून्य उत्सर्जन वाले उपकरण को अपनाना, और नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण करना शामिल है। इन पत्तनों को हरित हाइड्रोजन हब पत्तनों के रूप में विकसित किया जा रहा है, और ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम में चरणबद्ध तरीके से पारंपरिक टग जलयानों के स्थान पर कम उत्सर्जन वाले विकल्पों को अपनाने की रूपरेखा दी गई है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने देश के पोत निर्माण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 69,725 करोड़ रु. का व्यापक पैकेज अनुमोदित किया है। इस पहल के तहत चार-स्तंभ का दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसका उद्देश्य वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उन्नत, और सुदृढ़ समुद्री क्षेत्र विकसित करना है। इन पहलों में पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एमएसबीएफएएस), समुद्री विकास निधि (एमडीएफ), पोत निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) और नीतिगत, प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार करना शामिल है। राष्ट्रीय पोत निर्माण मिशन (एनएसबीएम), इस ढांचे के तहत सभी पहलों के समन्वय, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल निकाय के रूप में काम करेगा।

*****